संख्या-572जेएल/22-3-2024-ई-1626184

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊः दिनांकः 21-10-2024*

विषय- जिला कारागार, कानपुर नगर के सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू पुत्र स्व0 श्याम नारायण शुक्ला, निवासी जनपद-कानपुर नगर को माता के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3598/जि0मजि0/जि0प्रो0का0/बंदी पैरोल/2024-25, दिनांक 16-10-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, कानपुर नगर के सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू पुत्र स्व0 श्याम नारायण शुक्ला, निवासी जनपद-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-।/743686/2024-22-3016(099)/89/2022, दिनांक 14-09-2024 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री,, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।